

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001492013

व्यवहार वाद कं.-72ए/16

संस्थापित दिनांक-10.05.2013

1.निरपत पुत्र धोकल जाति साहू आयु 61 साल पेशा रिटायर्ड कर्मचारी,  
2.सीताराम पुत्र निरपत जाति साहू आयु 41 साल पेशा शासकीय नौकरी,  
3.हरिशंकर पुत्र निरपत जाति साहू आयु 39 साल पेशा कृषि,  
4.दिनेश पुत्र निरपत जाति साहू आयु 34 साल पेशा कृषि,  
5.दीपेश पुत्र सीताराम जाति साहू आयु 12 साल नावालिग संरक्षक ताउ सीताराम पुत्र निरपत जाति साहू आयु 41 साल पेशा कृषि,  
सभी निवासीगण ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....वादीगण

**विरुद्ध**

1.म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र0,  
2.म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र0,  
3.म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0,

.....प्रतिवादीगण

4.कालूराम पुत्र धोकल जाति साहू आयु 58 साल पेशा शा0 कर्मचारी, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
5.जस्सू (जशरथ) पुत्र रामचरण जाति प्रजापति आयु 35 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
6.खुशीलाल पुत्र स्व0 रामचरण जाति प्रजापति आयु 32 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
7.प्रकाश पुत्र रामचरण जाति प्रजापति, आयु 30 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
8.दुल्ला पुत्र रामचरण जाति प्रजापति, आयु 25 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
9.पप्पू पुत्र रामचरण जाति प्रजापति, आयु 19 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
10.भंवरलाल पुत्र सुखलाल जाति प्रजापति, आयु 52 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम प्राणपुर,  
सभी निवासी ग्राम प्राणपुर तह0 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0,  
11.रूपनारायण पुत्र ग्याप्रसाद दुबे जाति ब्राह्मण आयु 70 साल पेशा रिटा0 कर्म0 निवासी पंचमनगर कॉलोनी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... फॉर्मल प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
 प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा श्री चौबे अधिवक्ता।  
 प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 9 पूर्व से एकपक्षीय।  
 प्रतिवादी क्रमांक 10 व 11 पूर्व से एकपक्षीय।

— / / निर्णय / / —

**(आज दिनांक 12.01.2017 को घोषित)**

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे अनुसार ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 18/1 एवं सर्वे क्रमांक 20 के अ, ब, स, द, क, ख, ग भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 18 रकवा 0.972 हेक्टेयर में से 0.554 हेक्टेयर भूमि में आदेश दिनांक 29.12.08 द्वारा आपसी बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि को 18/1 क्रमांक कर दिया गया है। वादी के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 20 रकवा 0.334 हेक्टेयर में से 0.166 हेक्टेयर भूमि वादी क्रमांक 2 लगायत 6 द्वारा क़य की गई है तथा सर्वे क्रमांक 18/1 एवं सर्वे क्रमांक 20 आपस में लगे हुए हैं। वादी के अनुसार दोनों सर्वे क्रमांकों को मिलाकर लगभग 1 बीघा भूमि संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द, क, ख, ग अक्षरों से दर्शाई गई है और यही भूमि विवादित भूमि है। वादीगण के अनुसार वे एक ही परिवार के सदस्य हैं और खेती करते हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि सर्वे क्रमांक 18/1 एवं 20 की जो विवादित भूमि है उन पर कई वर्षों पुराने पेड लगे हुए हैं तथा वह वादीगण के स्वत्व की भूमि है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 के कार्यालय से दिनांक 30.04.13 को एक सूचना पत्र जारी हुआ जिसमें वादीगण को बताया गया कि उनके द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 19 में से रकवा 0.209 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा उन पर अर्थदंड लगाकर बेदखल करने की धमकी दी गई है। वादीगण के अनुसार उक्त भूमि शासकीय भूमि नहीं है तथा उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा गलत रूप से भूमि को शासकीय भूमि बताया जा रहा है और यदि उनके द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने इस आधार की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 19 रकवा 0.209 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया है तथा वे उपरोक्त गलत आधारों पर स्वत्व घोषणा चाह रहे हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 18/1 एवं सर्वे क्रमांक 20 को मिलाकर लगभग 1 वीघा भूमि संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द, क, ख, ग से दर्शित भाग के स्वत्वाधिकारी हैं ?	“नहीं”
02.	क्या वादीगण द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 19 पर ग्राम प्राणपुर तहसील चंदेरी पर अतिक्रमण किया गया है?	“हां”
03.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“नहीं”
04.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 निरपत, वा.सा. 02 रघुनाथ, वा.सा. 03 प्रतिपाल की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 36 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्षी पूजा दुबे तथा दस्तावेज प्रडी 01 तथा प्रडी 02 अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

**—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 03 ::—**

08. वा.सा. 01 निरपत ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके हिस्से की भूमि है जिस पर उनका बगीचा लगा हुआ है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण कहते हैं कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है, जबकि उसका शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं उस पर आम रास्ता है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि सर्वे नंबर 19 सरकारी है तथा सर्वे नंबर 20 का क्रय दिनांक से उसने सीमांकन नहीं कराया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे सर्वे नंबर 19 पर अतिक्रमण का नोटिस मिला था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वे नंबर 19 मरघट के नाम से अंकित है। वा.सा. 02 रघुनाथ ने अपने मुख्यपरीक्षण में वा.सा. 01 के अनुसार बातें बताई हैं। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे नंबर 19 एवं 20 निरपत के नाम हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे सर्वे नंबर 18 की सीमा की

जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने कोई सीमांकन नहीं हुआ। वा. सा. 03 प्रतिपाल तिवारी जो कि राजस्व निरीक्षक है, ने अपने कथन में बताया है कि उसने न्यायालय के आदेश से सर्वे क्रमांक 18/1 एवं 18/2 एवं 19 का स्थल निरीक्षण किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उससे न्यायालय द्वारा सर्वे क्रमांक 18 एवं 19 के बीच की दूरी मांगी गई थी। प्रपी 29 एवं 30 के अ से अ भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे नंबर 19 अक्ष में नहीं बना था इसलिए वह दूरी नहीं बता सकता। उक्त साक्षी के अनुसार मौके पर विभाजक रेखाएं स्पष्ट नहीं थीं तथा सर्वे नंबर 18 एवं 19 एक-सा था। प्रतिवादी साक्षी पूजा दुबे ने अपने कथन में बताया है कि वह ग्राम प्राणपुर की पटवारी है तथा उसने प्राणपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 19 देखी है जो म0प्र0 शासन के नाम है तथा जिससे सर्वे क्रमांक 18/1 एवं सर्वे क्रमांक 20 की सीमाएं लगी हैं। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 19 पर अतिक्रमण है।

09. प्रकरण में वादी की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके माध्यम से वादी ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि उसका शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा उसका उसके स्वत्व की भूमि पर कब्जा है तथा शासन द्वारा गलत तरीके से उसे उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रतिवादीगण के अनुसार वादी का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। वादी ने जो वा.सा. 02 की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त साक्षी को विवादित भूमि से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं है तथा वह हितबद्ध साक्षी है तथा वादी का नजदीकी होने के कारण उसके पक्ष में कथन कर रहा है। वादी ने प्रपी 01 का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी का शासकीय भूमि पर कब्जा है और उसका नोटिस उसे दिया गया है। यही स्थिति प्रपी 02 लगायत प्रपी 08 के दस्तावेज से स्पष्ट हो रही है। उक्त दस्तावेज वर्ष 2013 से संबंधित हैं। प्रडी 01 के दस्तावेज से यह प्रमाणित हो रहा है कि सर्वे क्रमांक 19 शासकीय भूमि है तथा वादी को सर्वे क्रमांक 19 के संबंध में ही नोटिस दिया गया है। प्रपी 13 एवं 14 के खसरो में सर्वे क्रमांक 18 एवं 20 में वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज हुआ है। प्रपी 15 के दस्तावेज जो कि नक्शा है, के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि सर्वे क्रमांक 19 सर्वे क्रमांक 18 एवं 20 के साथ लगी हुई है तथा वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न कर जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है और जिसमें अ, ब, स, द, क, ख, ग का जो भाग दर्शित किया गया है वह प्रपी 15 के दस्तावेज के मिलान करने पर सर्वे नंबर 19 दर्शित हो रहा है। प्रपी 16 लगायत प्रपी 19 के दस्तावेज भी वादी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से संबंधित हैं। प्रपी 24 का दस्तावेज भी अतिक्रमण से संबंधित है। प्रपी 25 का नक्शा भी प्रपी 15 के नक्शे से मिलान खा रहा है। यही स्थिति प्रपी 28 के नक्शाअक्ष की भी है।

10. न्यायालय द्वारा कराए गए स्थलनिरीक्षण प्रपी 29 एवं 30 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त विवादित स्थल का निरीक्षण के दौरान सर्वे क्रमांक 19 शासकीय भूमि होना पाया गया, किंतु उसका नक्शा न होना पाया गया तथा आपस के नंबरों की दूरी भी तय नहीं की जा सकी। प्रपी 29 एवं 30 के संबंध में वा.सा. 03 ने अपने कथन में यही बताया है। इस प्रकार वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण रहा है जिसके संबंध में वादी को शासन द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शाअक्ष प्रपी 15, प्रपी 25 एवं प्रपी 28 तथा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे कि मिलान से विवादित स्थल शासकीय भूमि दर्शित हो रही है तथा स्थल निरीक्षण से भी यही स्थिति स्पष्ट हुई है। उल्लेखनीय है कि वादी के

ही दस्तावेजों से यह प्रकट हो रहा है कि वादी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा ऐसा प्रकट होता है कि वादी अपने वादपत्र के माध्यम से शासकीय भूमि के भाग पर भी स्वत्व घोषणा कराना चाहता है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त विवादित स्थल का स्वत्वाधिकारी है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं एवं वादप्रश्न क्रमांक 02 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: **वादप्रश्न क्रं.-04** ::—

11. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

12. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फर इकबाल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर